न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 28/2016 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– रामकिशन पुत्र श्री डालूराम जाति बावरी निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

––––– **अपीलान्ट**

–– बनाम ––

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर जरिये राजकीय अभिभाषक।

––––– **रेस्पोडेन्ट**

उपस्थित :–	श्री सुरेश मोहता	अभिभाषक अपीलांट
	श्री चतुर्भुज	सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 09.07.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 06.07.2015, जिसमें अपीलांट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 49/2000 एसडीएम सूरतगढ निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से टोपीदार बन्दूक का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 49/2000 एसडीएम सूरतगढ बना है, जिस पर एसबीएमएल गन सं. 4502 दर्ज है और दिनांक 20.06.2013 तक नवीनीकृत है। अपीलांट द्वारा उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर पुलिस से रिपोर्ट ली गई। पुलिस उप अधीक्षक, सूरतगढ की रिपोर्ट क्रमांक 1189 दिनांक 22.4.13 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध एक आपराधिक मुकदमा एफ.आई. आर. नं. 313/12 अन्तर्गत धारा 447, 379 आईपीसी में दर्ज हुआ था। मुकदमा माननीय सिविल न्यायालय, सूरतगढ में विचाराधीन है। इसी बिनाय पर प्रथमतः अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 49/2000 आदेश दिनांक 13.05.2013 से निलम्बित किया गया। अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि अपीलांट उक्त मुकदमा में बरी हो गया है अतः उसका शस्त्र अनुज्ञा पत्र बहाल करते हुए जमा शुदा हथियार दिलाया जावे। माननीय सिविल न्यायालय, सूरतगढ द्वारा पारित

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय दिनांक 22.06.2015 के अवलोकन करने पर निर्णय के पैरा नं. 17 में अपीलांट को दोषसिद्ध घोषित किये जाने के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 06.07.2015 से अपीलांट का लाईसेंस सं. 49/2000 निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया । बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री सुरेश मोहता का मुख्य कथन है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.7.15 आर्म्स एक्ट में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को रिव्यू करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु उस पर कोई गौर नहीं किया गया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। उपखण्ड न्यायालय, सूरतगढ द्वारा न्यायालय ए.सी.जे.एम. सूरतगढ के निर्णय दिनांक 22.6.2015 में पैरा सं. 18 में अंकित है कि अभियुक्तके विरूद्ध पूर्व में कोई दोषसिद्धी नहीं है तथा अभियुक्त 60–61 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है तथा वह 2012 से मुकदमें में अनवीक्षारत है। अतः प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित है। इसलिये प्रार्थी पर 10000/–रूपये का निजी बंध पत्र व इसी राशि का जमानत पत्र 1 वर्ष की अवधि के लिये तस्दीक करावें कि वह उक्त अवधि में परिशांति रखेगा व सदाचार बना रहेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा व न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर सजा भुगतने के लिये तैयार रहेगा तो उसे परिवीक्षा पर रिहा किया जावे। अपीलांट ने परिवीक्षा काल में उसकी कोई खिलाफवर्जी नहीं की है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा अपीलांट को दण्डित नहीं कर परीवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया गया है। इस बात को नजरअंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिससे उसके पास हथियार रहने से लोक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो। अपीलांट ने आर्म्स एक्ट के किसी प्रावधान की अवहेलना नहीं की है। अपीलांट ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण के आवेदन पत्र में किसी प्रकार के तथ्यों को नहीं छुपाया है। अतः धारा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मियाद में सुमार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपील अपीलान्ट मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है । अतः प्रथमतः अपील को मियाद बिन्दु पर ही निरस्त फरमाई जावे । प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस उप अधीक्षक, सूरतगढ की रिपोर्ट क्रमांक 1189 दिनांक 22.4.13 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध एक आपराधिक मुकदमा सं. 313/12 दर्ज है और न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं है, की टिप्पणी की है। तत्पश्चात उक्त फौजदारी प्रकरण में न्यायालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ के निर्णय दिनांक 22.6.15 द्वारा अपीलान्ट को अपराध अन्तर्गत धारा 447 व 379 आई.पी.सी. में दोषसिध्द घोषित कर परिवीक्षा का लाभ दिया गया है । प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय सूरतगढ द्वारा व्यापक लोक शांति की सुरक्षा के लिए अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 49/2000 निरस्त किया गया है । अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ के आदेश दिनांक 22.6.2015 के विरुध्द इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 18.10.2016 को 438 दिवस की देरी से प्रस्तुत की गयी है । उक्त देरी के सम्बन्ध में अपीलान्ट का कथन है कि दिनांक 19.9.16 को जानकारी मिलने पर दिनांक 3.10.16 को प्रमाणित प्रति मिलने पर एक माह की समयावधि में अपील प्रस्तुत की गयी है । न्यायालय के अनुसार अपील प्रस्तुत करने की परिसीमा तब प्रारम्भ होती है, जब शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त होने की सूचना अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान की जाती है । प्रकरण में अभिलेख अवलोकन अनुसार उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.7.15 की सूचना पत्रांक 26–28 दिनांक 6.7.15 द्वारा अपीलार्थी रामकिशन उर्फ रामसिंह भिजवाया जाना दर्शाया है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.7.15 की पुश्त पर रामकिशन का अंगूठा निशानी लगा हुआ है । प्रकरण अनुसार शस्त्र अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस की समयावधि निर्धारित की हुई है तथा शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा यह अपील 438 दिवस की देरी से प्रस्तुत की गयी है, जो स्पष्टतया मियाद बाहर है । मियाद के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में देरी के लिए जो कारण दर्शाये गये हैं वह सन्तोषजनक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि प्रार्थना पत्र में प्रतिदिन देरी का कारण नहीं दर्शाया है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की यह अपील मियाद में शुमार नहीं की जा सकती है एवं मियाद बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. प्रकरण अनुसार अपीलान्ट ने टोपीदार बन्दूक का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 49/2000 एसडीएम सूरतगढ को नवीनीकरण करवाने का प्रार्थना पत्र उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ के समक्ष दिनांक 22.3.13 को प्रस्तुत किया, जिस पर पुलिस से रिपोर्ट ली गई। पुलिस उप अधीक्षक, सूरतगढ की रिपोर्ट क्रमांक 1189 दिनांक 22.4.13 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध एक आपराधिक दर्ज होने से शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया जाना अनुचित बताया । अपीलान्ट के विरुध्द विचाराधीन फौजदारी प्रकरण में न्यायालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ ने निर्णय 22.6.15 पारित कर अपीलार्थी रामसिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 447, 379 आईपीसी में दोष सिध्द घोषित किया गया है एवं सजा के प्रश्न पर अपीलार्थी को . दण्डादेश दिया जाकर परीवीक्षा अधिनियम 4 का लाभ देते हुए रिहा किया गया है । अपीलांट के विरूद्ध दर्ज हुए उक्त आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध घोषित करने से अधिनस्थ न्यायालय ने तथा अपीलांट को आपराधिक प्रवृति का होना मानकर शस्त्र लाईसेंस सं. 49/2000 निरस्त कर दिया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट का बहस में मुख्य कथन है कि अपीलांट को उक्त मुकदमा में दण्डित नहीं किया गया है। अपीलांट को परीवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया गया है। निर्णय से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में उसे 10000/– के जमानत मुचलकों पर पाबंद करते हुए परीवीक्षा का लाभ दिया गया । हम विद्वान सहायक लोक अभियोक के कथन से सहमत हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास शस्त्र रहने से उसके दुरूपयोग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यापक लोक शांति की सुरक्षा के मध्यनजर अपीलाधीन आदेश पारित अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 49/2000 निरस्त किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

8. उपरोक्त विवेचना के अनुसार यह अपील अपीलान्ट न केवल मियाद बिन्दु अपितु गुणावगुण पर भी संधारण योग्य नहीं होने से न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतरगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.7.2015 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

9. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 09.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानसहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर